न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) नागौर
पीठासीन अधिकारी–कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–100/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
गोपालसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी बामणा कंला तहसील डेगाना जिला नागौर		1. भारत संघ जरिये सचिव भारतीय राजमार्ग, पोत परिवहन सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग जल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली। 2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर, नागौर 3. परियोजना निर्देशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्लोट नं0 156, गिरधर कोलोनी, वैशाली नगर, जयपुर राज0 4. नाहरसिंह गोद पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी बामणा कलां तहसील डेगाना, जिला नागौर 5. हरीराम पुत्र धननाराम जाति जाट निवासी बामणा कंला तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री गंगासिंह कालवी।
2. अप्रार्थी 1 व 3 की ओर से वकील राकेश धनकड़ एवं अनिल गौड़।
3. अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश

दिनांकः 5-6-18

1–प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए भूमि की अवाप्ति हेतु एन.एच. एक्ट 1956 की धारा 3G के तहत पारित आंशिक अवार्ड दिनांक 04.08.2015 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत दिनांक 18.10.2016 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी सख्या–4 व 5 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे गये परन्तु नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजने की दिनांक से एक माह पश्चात भी वह न्यायालय में उपस्थित नहीं आये और उन्होने प्रकरण की सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

2–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना में दिये गये तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने मौजा बामणा कलां तहसील डेगाना की भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 1.05 बीघा श्री नाहरसिंह पुत्र रामसिंह राजपूत निवासी बामणा कलां तहसील डेगाना से दिनांक 20.3.208 को कीमत अदा करके खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तथा रेकर्ड में भी उसका नाम चढ़ गया है नकल खतौनी व पासबुक पास पेश की गई है। इस भूमि में से 0.05 बीघा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 458 के 0.00 किमी से 139.900 निम्बी जोधा से जस्सा खेड़ा (नागौर सेक्शन) के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 2 ने भूखण्ड निर्माण (चौड़ा करने व दो लाईन बनाने आदि) अवाप्त की जिस पर प्रार्थी का निर्माण किया हुआ है, जिसमें स्कूल चलाई जा

कलक्टर, नागौर

रही थी। यह अवाप्तशुदा भूमि 165 X 25 = 4125 फुट है जिसमें टीनशेड, 2 लेटरीन व स्नानघर 2, कमरे 3 जिनकी साईज 17 X 5 फुट पहले की, 17 X 20 फुट दुसरे की व 14 X 10 तीसरे की है। रसोई जिसकी साईज 8 X 10 फुट है। इसके अलावा ग्राउण्ड लेवल रेंक जिसकी क्षमता 1 टेंकर है व एक जमीन में हौज जो 4 टेंकर की क्षमता का है बने है तथा इनके अलावा आहाता भी बना है। इस अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा रूपये 8,14,767/– निर्धारित किया गया जो अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 नाहरसिंह व हरीसिंह के नाम बना दिया जबकि इसमें इन दोनों का ही हक हिस्सा नहीं है उनकी अलग भूमि है, जिसका मुआवजा अलग से बन गया है। यह मुआवजा का निर्धारण केवल संरचनाओं का है। यह मुआवजा प्रार्थी के मामले में कम आंका गया है, उसमें मुआवजा के लिए आपत्ति भी की थी मगर उस पर कोई गौर नहीं किया गया। इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2(1)– मामला में संरचनाओं का मुआवजा फर्म मैसर्स जैमन एसोसियेट्स 3 ऋषि कोलोनी गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के सामने टोंक रोड़ जयपुर के द्वारा करवाया गया का उल्लेख है मगर उनका क्या तरीका था व क्या आधार था उनकी रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं दिया है। इस अवार्ड में यह भी उल्लेख है कि उक्त संरचनाओं के मूल्यांकन का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रेण्डमली सत्यापन्न किया जाकर मूल्यांकन प्रतिवेदन अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत डीडवाना ने पत्र कमांक–3238 दिनांक 12.3.2015 ए, अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत नागौर पत्र संख्या 118 दिनांक 16.4.2015 के द्वारा इस कार्यालय को भिजवाया जो परिशिष्ट बी, के अनुसार है मगर इनका भी क्या आधार है, नहीं बताया है। इस अवार्ड में संरचनाओं के मूल्यांकन का आधार नागौर जिले में बी.एस. आर. 2011 को आधार माना है, जो सही नहीं है। बी.एस.आर. 2015 में थी उसका तो आधार माना नहीं है व 4 वर्ष पहले की बी.एस.आर को आधार माना है, जो गलत है मानने के लिए माना जा सकता है कि 2015 तक वही बी.एस.आर. हो मगर उस हालत में बी.एस.आर. पर निर्माण करना संभव नहीं है। उस हालत में बी.एस.आर. से 15 या 20 परसेंट से उपर काम किया जा सकता था। बी.एस.आर. पर काम संभव नहीं है। बामणा गांव रेतीला गांव है जहां न तो पत्थर उपलब्ध है न बजरी के बाहर से लाने पड़ते है जो बहुत यातायात खर्चा होता है सो निर्माण कार्य इस गांव में मंहगा होता है। इस गांव में तो 2011 में भी बी.एस.आर. पर काम करने को तैयार नहीं था न है। इनकी दरे पेश की जायेगी। इस बी.एस.आर. 2011 के आधार पर निर्माण की कीमत का मूल्यांकन मुश्किल है व सही नहीं आ सकता। इसके अलावा इस एवार्ड में यह भी नहीं बताया है कि कितना निर्माण था व क्या क्वालिटी इसकी थी, कितने कमरे थे व अन्य निर्माण क्या थे व निर्माण कार्य का प्लींथ एरिया क्या था व कितने फीट था उसके बिना मूल्यांकन सही नहीं हो सकता है। मुआवजा भी नये भूमि अवाप्ति कानून से होना चाहिए व बाजार भाव से 4 गुणा होना चाहिए जो मुआवजा तैह किया है वह निर्माण को देखते हुऐ बहुत ही कम है।

2(2)– अवार्ड से पहले प्रार्थी को व्यक्ति या अपनी प्रतिनिधि को नहीं सुना गया है, वर्ना सभी तथ्य स्पष्ट हो जाते। निर्माण सड़क के किनारे था सो उसकी कीमत पहले ही बहुत ज्यादा थी मगर उस कोई गौर न करके साधारण निर्माण की तरह मूल्यांकन कर दिया है, सो यह मूल्यांकन बहुत ही कम है इसके अलावा हाई वे बन जाने से कीमत भूमि की बढ़ गई है इसलिए इसका मूल्यांकन जो इस रास्ते पर बची है उसकी कीमत पर मूल्यांकन तैह होना चाहिए मगर उस पर विचार नहीं किया गया है।

2(3)– पुर्नवास के लिए कुछ भी व्यवस्था व मुआवजा नहीं है। प्रार्थी इस निर्माण में स्कूल चलाता था सो इसके निर्माण की कीमत अत्यधिक ज्यादा होनी चाहिए थी, जिसका मूल्यांकन सही नहीं किया है। हाई वे के उपर स्कूल भवन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए मूल्यांकन सही होना आवश्यक है। मुआवजा पर अवार्ड की दिनांक से मुआवजा मिलने तक प्रार्थी ब्याज पाने का अधिकारी होने का कथन करते हुऐ वकील प्रार्थी ने उपरोक्त बताये अनुसार व तरीके से अवार्ड को संशोधित करने का निवेदन किया है।

कलक्टर, नागौर

3– वकील (अप्रार्थी संख्या–1 व 3) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 139.900 निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड तक के भू खण्ड निर्माण (चौड़ा करने/ दो लाईन बनाने आदि) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत दिनांक 11.03.2013 को अधिसूचना जारी की गयी, जिसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 14.04.2013 को प्रकाशित करवाकर हितधारितयों व हर आम खास को अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 21 दिन के भीतर यानी 05.05.2013 तक के लिए आक्षेप/आपत्तियां आमंत्रित की गयी। उक्त निर्धारित समयावधि में प्राप्त आक्षेप/आप्पतियों पर अवाप्ति अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ताओं को पर्याप्त, समुचित एवं व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता सुनवाई का अवसर देते हुऐ आपत्तियों को निस्तारण कर दिया। तत्पश्चात अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत प्रतिवेदन दिनांक 4.9.2013 को भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय) को भिजवा दिया गया। उक्त प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 22.11.2013 को अधिनियम, 1956 की धारा 3डी की उपधारा–1 के तहत घोषणा जारी की गयी कि उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जावेगी। हर आम खास की सूचनार्थ उक्त अधिसूचनाओं का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका में दिनांक 24.12.2013 को किया गया। उपरोक्त प्रकाशन के पश्चात दिनांक 14.01.2014 तक विभिन्न ग्रामों से कुल 49 आपत्तियां/आक्षेप प्राप्त हुऐ जिस पर परियोजना निदेशक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन ईकाई अजमेर से टिप्पणी ली गई। तत्पश्चात आपत्तियों का निराधार होने के आधार पर प्रत्येक आपत्ति को पृथक–पृथक रूप से निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार उक्त अधिसूचनाओं के तहत भूमि का विधि अनुसार अर्जन किया गया तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसरण में आपत्तियों का निस्तारण कार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गयी है जो कि समुचित है। चूँकि खसरा नम्बर 98 (नया खसरा नम्बर 164) की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाम दर्ज है, जिसके सन्दर्भ में भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में दिनांक 28.10.2014 को अवार्ड पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की अवाप्तशुदा भूमि में स्थित संरचना/निर्माणात के सन्दर्भ में दिनांक 04.08.2015 को नियमानुसार समुचित अवार्ड पारित किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर व राजस्व रिकार्ड के विपरित जाकर रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का अधिकार केवल मात्र खातेदार/भूमि मालिक को ही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का कोई लोकल स्टेण्डाई नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

3(1)– भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पत्रांक–भूमि अवाप्ति/2014/156–157 दिनांक 25.03.2014, 2749–50 दिनांक 08.04.2014 व 810–11 दिनांक 25.08.2014 के द्वारा भूमि की सरंचना की मूल्यांकन रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि, राजमार्ग वृत्त नागौर/डीडवाना को लिखा गया। सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित संरचना/स्ट्रक्चर का मूल्यांकन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अजमेर द्वारा अधिकृत फर्म मैसर्स जैमन ऐसोसियेट्स, गांधी नगर रेल्वे स्टेशन के पास टोंक रोड़ जयपुर से कराया गया। उक्त संरचनाओं के मूल्यांकन का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सत्यापन्न किया जाकर प्रतिवेदन अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत डीडवाना ने दिनांक 12.03.2015 एवं अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग नागौर ने दिनांक 16.04.2015 के पत्र द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय को भिजवाया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पी0डब्ल्यू0डी0 के इंजीनियर्स से प्रमाणित होने के पश्चात वास्तविक नापतौल कराकर राजस्थान सरकार की प्रभावी बेसिक शेडयूल ऑफ रेट (बी.एस.आर) के अनुसार मूल्यांकन करवाया गया है, जो कि पूर्णत

कलक्टर, नागौर

सही एवं उचित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की अवाप्तशुदा भूमि में स्थित सरंचना के सन्दर्भ में सरंचना का समुचित मूल्यांकन कर नियमानुसार मुआवजा राशि रूपये 8,14,767 / –का अवार्ड अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पक्ष में दिनांक 04.08.2015 को पारित किया जा चुका है। अवाप्तशुदा भूमि उपलब्ध राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं है। बल्कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के नाम दर्ज है, जिसके पक्ष में नियमानुसार भूमि में स्थित संरचनाओं की मुआवजा राशि का अवार्ड पारित किया जा चुका है, का कथन करते हुऐ वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

4– राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने प्रार्थी गोपालसिंह के संबंध में ग्राम बामणा कंला खसरा नम्बर 98 में से एनएच 458 के संबंध में अवाप्तशुदा भूमि में पाई गई सरंचनाओं के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र X–2–2011 व बी.एस.आर–2011 के तहत मुआवजा गणना रिपोर्ट (373 R.H.S.) की छाया प्रति प्रस्तुत करते हुऐ निवेदन किया की हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि में पाई गई प्रत्येक संरचना का नियमानुसार मूल्यांकन किया जाकर समस्त संरचनाओं का मुआवजा 8,14,767 / –रूपये किया जाकर उक्त राशि का अवार्ड दिनांक 04.08.2015 को प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित किया जा चुका है। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0 उपखण्ड जायल, रियांबड़ी व डेगाना द्वारा हस्ताक्षरित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि में स्थित प्रत्येक सरंचनाओं नियमानुसार विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया, जो सही है। राजपैरोकार ने कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के पत्रांक–2016 / 410 दिनांक 01.12.16 एवं अवार्ड स्टेटमेन्ट शीट अनेक्वर–2 की छाया प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया की हितबद्ध व्यक्ति प्रार्थी गोपालसिंह पुत्र गणपतसिंह को सरंचनाओं की उक्त मुआवजा राशि 8,14,767 / –रूपये में से टी.डी.एस. आदि काट कर नियमानुसार देय राशि को प्रार्थी के एस.बी.बी.जे. बैंक डेगाना के खाता संख्या 61141137189 में जमा करवाया जा चुका है। हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि में स्थित समस्त सरंचनाओं का विधि अनुसार उचित मूल्यांकन कर नियमानुसार देय मुआवजा राशि प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवाई जा चुकी है, का कथन करते हुए प्रार्थी का मध्यस्थता प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

5– वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया एवं राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छाया प्रतियों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा मध्यस्थता प्रार्थना पत्र के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा प्रकरण में अवाप्त भूमि पर स्थित सरचनाओं के संबंध में आंशिक अवार्ड दिनांक 04.08.2015 को चुनोती दी गई है, इसलिए वकील प्रार्थी द्वारा संरचनाओं के संबंध में प्रश्नगत किये गये बिन्दुओं पर ही विचार किया जाना उचित है।

5(1)– निम्बीजोधा से जस्साखेड़ा खण्ड में (नागौर सेक्शन) के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–458 के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना दिनांक 11.03.2013 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत जारी हुई है, जिस पर धारा 3जी के तहत मुआवजा निर्धारण की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा सम्पादित करते हुए अवाप्तशुदा भूमियों पर स्थित सरचनाओं के संबंध में आंशिक अवार्ड दिनांक 04.08.2015 को जारी किया गया है। इस आंशिक अवार्ड के तहत हस्तगत प्रकरण में ग्राम बामणाकंला के खसरा नंम्बर 98 में से 0.3399 हैक्टयर बारानी 2 अधिग्रहित भूमि में स्थित सरंचनाओं के संबंध में प्रार्थी नाहरसिंह गोदपुत्र रामसिंह जाति राजपूत सा. देह व हरीराम पुत्र धनाराम कौम जाट सा. देह खातेदार के पक्ष में 8,14,767 / –रूपये का मुआवजा निर्धारित किया गया।

कलक्टर, नागौर

वकील प्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि में विभिन्न सरंचनाऐं जिसमें टीनशेड, 2 लेटरीन, दो स्नानघर, 3 कमरे, रसाई, ग्राउण्ड लेवल टेंक, एक जमीन में हौज व अहाती बन्द होना

बताया है। 8,14,767/– रूपये का मुआवजा सरंचना का होना, जो प्रार्थी को दिलाये जाने तथा उक्त मुआवजा कम होना का कथन किया गया है। इस मामले में बी.एस.आर. 2011 के स्थान पर 2015 की होनी चाहिए आदि को लेकर उज्र लिया गया है।

प्रकरण में जहां तक बी.एस.आर. 2011 के स्थान पर 2015 लगाने के संबंध में वकील प्रार्थी द्वारा ऐसी कोई विधि सम्मत ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, बिना किसी विधिक साक्ष्य के प्रार्थी का उक्त कथन माने जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने उक्त अवाप्तशुदा भूमि उपरोक्तानुसार संरचनाऐं स्थित होने का कथन अवश्य किया है, परन्तु अपने कथनों के समर्थन में ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि अवाप्तशुदा भूमि उपरोक्त सभी सरंचनाऐं तत्समय स्थित रही हो। बिना किसी ठोस आधार एवं साक्ष्य के वकील प्रार्थी का उक्त कथन माने जाने योग्य नहीं है।

प्रकरण में प्रार्थी गोपालसिंह के संबंध में ग्राम बामणा कंला खसरा नम्बर 98 में से एनएच 458 के संबंध में अवाप्तशुदा भूमि में पाई गई सरंचनाओं के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग के परिपत्र X–2–2011 व बी.एस.आर–2011 के अनुसार मुआवजा गणना रिपोर्ट (373 R.H.S.) की प्रति के अनुसार हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि में पाई गई प्रत्येक संरचना का नियमानुसार मूल्यांकन किया जाकर समस्त संरचनाओं का मुआवजा 8,14,767/–रूपये किया जाकर उक्त राशि का अवार्ड दिनांक 04.08.2015 को प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित किया जा चुका है। उक्त मूल्यांकन रिपोर्ट सहायक अभियन्ता, सा0नि0वि0 उपखण्ड जायल, रियांबड़ी व डेगाना द्वारा हस्ताक्षरित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि में स्थित प्रत्येक सरंचनाओं का नियमानुसार विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया गया, जो पूर्णतया विधि सम्मत है, जिसे नहीं माने जाने का कोई आधार नहीं है। कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर के पत्रांक–2016/410 दिनांक 01.12.16 एवं अवार्ड स्टेटमेन्ट शीट अनेक्चर–2 की प्रति के अनुसार हितबद्ध व्यक्ति प्रार्थी गोपालसिंह पुत्र गणपतसिंह को सरंचनाओं की उक्त मुआवजा राशि 8,14,767/–रूपये में से टी.डी.एस. आदि काटकर नियमानुसार देय राशि प्रार्थी के एस.बी.बी.जे. बैंक डेगाना के खाता संख्या 61141137189 में जमा करवाया जा चुकी है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि में स्थित समस्त सरंचनाओं के संबंध में नियमानुसार मूल्यांकन किया जाकर मुआवजा राशि को भी नियमानुसार प्रार्थी के बैंक खाते में जमा करवाया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मध्यस्थता प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

6–उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

7–आदेश सुनाया।

(कुमार पाल गौतम)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर, नागौर